सं0 ए-32013/01/2021-केहिप्रसं/2539

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

7वीं मंजिल, अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड़,
नई दिल्ली - 110003

दिनांक : 09.10.2023.

कार्यालय आदेश

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 35034/3/2008-स्था(घ) के तहत जारी दिशा-निदेशों तथा राजभाषा विभाग के दिनांक 25.09.2023 के पत्र संख्या 14034/18/2022-राभा (प्रशि) के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत उनके नाम के आगे दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय/प्रथम वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाता है:-

क्र.सं	अधिकारी का नाम व पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	प्रारंभिक/नियमित नियुक्ति की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख	वित्तीय अपग्रेडेशन देने पर ग्रेड वेतन सहित वेतनमान	दिए जाने वाले वित्तीय अपग्रेडेशन का प्रकार
1	महेंद्र कुमार, सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि)	31.03.2003 सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) पीबी-3 रू.15600-39100 + ग्रेड वेतन रू.5400	31.03.2023	लेबल-12 ₹78800-209200	द्वितीय
2.	धीरज लाल, सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि)	16.05.2013 सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) पीबी-3 रू.15600-39100 + ग्रेड वेतन रू.5400	16.05.2023	लेबल-11 रू.67700-208700	प्रथम

2. यह वित्तीय अपग्रेडेशन संबंधित अधिकारी के लिए पूर्णत: वैयक्तिक आधार पर होगा और उसकी वरिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वित्तीय अपग्रेडेशन से किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस आधार पर कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा कि उससे कनिष्ठ अधिकारी उक्त ग्रेड में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन के कारण उच्चतर वेतन ले रहा है।

3. उपरोक्त अधिकारियों का वेतन मूलभूत नियमावली के नियम 22(I)(क)(1) के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाएगा। मूल नियम 22(I)(क)(1) में दी गई व्यवस्था के आधार पर वेतन निर्धारण के लिए संबंधित अधिकारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद दिया गया विकल्प मान्य नहीं होगा।

9-10-2023

4. संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय मिलने वाले वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा।

5. संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की पुष्टि लेखा परीक्षा द्वारा की जाएगी तथा आवश्यक वसूली, यदि कोई हुई तो लेखा परिप्रेक्ष्य में की जाएगी।

9-10-2023

(नरेन्द्र कुमार प्रसाद)
उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. अवर सचिव (प्रशि), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के उनके दिनांक 25-09-2023 के कार्यालय ज्ञापन सं.14034/18/2022-रा.भा.(प्रशि.) के संदर्भ में।
3. संयुक्त निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
4. उपनिदेशक, हिंदी शिक्षण योजना (पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/पूर्वोत्तर/मध्योत्तर), कोलकाता/मुंबई/चेन्नै/गुवाहाटी/नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर/पूर्व), नई दिल्ली/कोलकाता।
6. सहायक निदेशक (भाषा/मुख्यालय), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
7. सहायक निदेशक (अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक), भाषा/टंकण/आशु., के.हि.प्र.स., नई दिल्ली।
8. संबंधित अधिकारीगण वाया ई-मेल।
9. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, की वेब-साइट के नोडल अधिकारी को वेब-साइट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. व्यक्तिगत मिसिल/सेवापंजी।